रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 220] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 7, 1975/कार्तिक 16, 1897

No. 220] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 7, 1975/KARTIKA 16, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 7th November 1975

SUBJECT.—*Import Policy for Registered Exporters for the period April* 1975—*March* 1976.

No. 116-ITC(PN)/75.—Attention is invited to the import policy for Registered Exporters as contained in Red Book (Volume II) for the period April 1975—March 1976 published under the Ministry of Commerce Public Notice No 21-ITC(PN)/75, dated the 7th April, 1975.

2. On a review of the position it has been decided that the import of acrylic plastic sheets/acrylic sheets/off-cuts permitted in column 4 against S. Nos A. 171.2, C. 25, C. 28 1, C 29.1 and C. 30 in Section II of the aforesaid Red Book shall be subject to a value restriction of 25 per cent within the admissible replenishment

3. The import policy for Registered Exporters for the period April 1975—March 1976 may be deemed to have been amended accordingly

B. D. KUMAR,

Chief Controller of Imports & Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 1975

विषय.—अप्रैल, 1975—मार्च, 1976 अवधि के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति ।

सं० 116-आई०टी०सी० (पी०एन०)/75.—वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 21 आई टी सी (पी एन)/75, दिनांक 7 अप्रैल, 1975 के अन्तर्गत प्रकाशित अप्रैल, 1975—मार्च, 1976 अवधि के लिए रैड बुक (वा०-2) में यथा निहित पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. स्थिति की पुनरीक्षा करने पर यह निश्चय किया है कि उक्त रैड बुक के खंड-2 में क्रम संख्या ए. 171·2, सी. 25, सी 28.1, सी 29.1 एवं सी 30 के सामने कालम 4 में एक्रिलिक प्लास्टिक शीट्स/एक्रिलिक शीट्स/स्वीकृत आफ-कट्स का आयात, स्वीकृत आपूर्ति के भीतर 25 प्रतिशत मूल्य प्रतिबंधन के अधीन होगा ।

3. तदनुसार, अप्रैल, 1975—मार्च, 1976 अवधि के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति को संशोधित किया गया समझा जाए ।

बी० डी० कुमार,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975